दिनांक:29.9.2022

पत्रावली आज लोक–अदालत में पेश हुई। परिवादी अधिवक्ता उपस्थित है।

परिवादी अधिवक्ता की ओर से कथन किया गया है कि उभय पक्ष के मध्य सुलह हो गई है। प्रस्तुत प्रार्थनापत्र में अभिकथित तथ्यों के आधार पर परिवाद वापस करने की प्रार्थना की गई है।

सुना एवं अवलोकन किया।

चूंकि मामलें के परिवादी द्वारा स्वंय परिवाद वापस करने की प्रार्थना की गई है।

अतः मामलें के तथ्य एवं परिस्थितियों में परिवादी का परिवाद धारा 257 जा.फौ. के तहत वापस किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। परिवाद परिवादी को नियमानुसार वापस हो।

(शालिनी विधेय)
न्यायिक मजिस्टेट,
क.सं.4 इलाहाबाद।